SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 28.09.2024

न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अजमेर

न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अजमेर के इस प्रकरण में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी का विवाह जनवरी 2012 में हुआ था एवं उनके विवाह संबंधों से एक पुत्री का जन्म नवंबर 2013 में हुआ। दोनों पक्षों में मनमुटाव एवं झगड़ा होने से उनके मध्य मुकदमेबाजी हुई। प्रार्थिया ने अप्रार्थी के विरुद्ध विवाह–विच्छेद याचिका धारा–13(1)(1क) हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत की। दोनों पक्षों के मध्य न्यायाधीश महोदय द्वारा समझाइश करवाई गई जिस पर दोनों पक्षों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ और बिना किसी विवाद के साथ रहने को तैयार हुए। लोक अदालत के माध्यम से विवाद का निपटारा होने पर अब पक्षकारान सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकेंगे एवं उनकी पुत्री को माता–पिता दोनों का स्नेह वह प्यार मिल सकेगा।

न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 01, अलवर

इस प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का विवाह जून 2010 में संपन्न हुआ था। कुछ समय पश्चात् दोनों के मध्य विवाद पैदा हो गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया के विरुद्ध धारा 13ए हिंदू विवाह अधिनियम प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसमें अप्रार्थिया उपस्थित हुई। पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया एवं दोनों खुश होकर एक साथ अपने घर लौटे।

सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगूं, चित्तौड़गढ

सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेगूं में विचाराधीन इस फौजदारी प्रकरण में फरियादी एवं विपक्षीगण एक ही गांव के निवासी थे जिसमें फरियादी के कथन अनुसार जमीनी विवाद के चलते एक दिन फरियादी पर विपक्षीगण द्वारा लड़कियों से प्रहार किया जाकर उसे घायल कर दिया गया, जिस कारण फरियादी को गंभीर चोटें आई और फरियादी ने इस घटना

का मुकदमा थाने में दर्ज करवा दिया था जो कि दिनांक 16 सितंबर 2024 को पुलिस द्वारा चालान पेश करने पर न्यायालय में दर्ज किया गया था। प्रकरण बयान–गवाह, बयान मुलजिम जैसे कई चरणों से गुजर कर भी है अनिर्णायक ही रहा जिसमें गत कई लोक अदालतों में राजीनामा के प्रयास किए गए परंतु हर बार राजीनामा के प्रयास विफल रहे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंच अध्यक्ष एवं अधिवक्तागण के निरंतर प्रयास एवं समझाइश से फरियादी ने स्वयं अपनी इच्छा राजीनामा पेश कर विपक्षी के विरुद्ध दायर मुकदमे को विड्रा कर विपक्षी के विरुद्ध कोई अग्रिम कानूनी कार्यवाही नहीं चाहना जाहिर किया। इस प्रकार 10 वर्ष पुराने प्रकरण का राजीनामे के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया गया।

न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय क्रम–1, कोटा

इस प्रकरण में पक्षकारान का विवाह लगभग 49 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात 8–9 वर्ष ही पक्षकारान साथ रहे। वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों पक्षकार अलग–अलग निवास करने लगे एवं प्रार्थिया ने अप्रार्थी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी का प्रकरण अगस्त, 1990 को पारिवारिक न्यायालय कोटा में पेश किया, जिसका निस्तारण नवम्बर, 1992 को किया गया, जिसमें 300 रूपये मासिक भरण–पोषण राशि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को अदा किये जाने का आदेश किया गया। आदेश की पालना में भरण पोषण राशि वसूल करने हेतु दोनों पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होते रहे समय–समय पर वर्ष 2007 एवं वर्ष 2013 में धारा 127 सीआरपीसी में खर्च बढ़ाने की कार्रवाई प्रार्थिया का द्वारा की गई। दिनांक अक्टूबर, 2013 को इसी न्यायालय द्वारा महंगाई को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिया को 2000 रूपये मासिक भरण पोषण दिलवाये जाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात् प्रार्थिया द्वारा पुनः दिनांक मार्च, 2023 को इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 127 सीआरपीसी का प्रस्तुत किया जिस पर पक्षकारान, जिनमें प्रथम पक्षकार की उम्र 69 साल तथा द्वितीय पक्षकार की उम्र 74 साल हो चुकी है, उनके न्यायालय में उपस्थित होने पर उनके सीनियर सिटीजन होने से उनके मध्य समझाइश करवायी गयी। इस प्रकार इस प्रकरण में 34 वर्ष तक लगातार न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात समझाइश से दोनों पक्षकारान ने राजीनामा किया और जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के न्यायालय में समझाइश से राजीनामा किया। इस प्रकार 34 वर्ष पुराने प्रकरण का राजीनामे के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया गया।

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जायल, मेड़ता सिटी

इस प्रकरण में वादीगण द्वारा एक भूखण्ड को प्रतिवादी से खरीदा गया था, परंतु बेचाननामे का नामांतरण दर्ज नहीं हो सका उसके कुछ वर्षों बाद विक्रयकर्ता की मृत्यु हो गई उक्त भूखण्ड के दो पुत्रों के नाम विरासत में दर्ज हो गया। उसके बाद विक्रयकर्ता के प्रथम पुत्र, जिसके कोई संतान नहीं थी, की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद संपूर्ण जमीन फरवरी, 2009 को द्वितीय पुत्र के अकेले के नाम दर्ज हो गयी। उसके बाद विक्रयकर्ता के द्वितीय पुत्र ने उक्त जमीन जून, 2009 को लीला देवी के पक्ष में बेचान कर दी। इस बात की जानकारी होने पर वादीगण ने वर्ष 2012 में यह वाद पत्र इस न्यायालय में लीला देवी के पक्ष में हुए बेचाननामे को निरस्त करने के लिए पेश किया। इस प्रकरण में लगभग 12 वर्ष वाद सभी पक्षकारान के मध्य समझाइश करवायी गयी जिस फलस्वरूप वादीगण ने लीलादेवी से प्रतिफल राशि प्राप्त कर लीला देवी के पक्ष में हुए बेचाननामे को राजीनामे के माध्यम एवं आपसी समझाइश से जरिए राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया। इस प्रकार लगभग 12 वर्ष तक चले पक्षकारों के मध्य विवाद को दिनांक 28.09.2024 की राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाइश से निस्तारण करवाया गया एवं पक्षकारों के मध्य शांति व सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करवाए गए।

****

"Help the Needy – Timely Help May Create History"